न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर

बईजलास श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 45/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजुवाला जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

श्यामु पुत्र रहीम खां जाति मुसलमान निवासी धोधा तहसील पूगल (फोत)कायम मुकाम

1. सांवण खा पुत्र श्यामु खां (फोत) कायम मुकाम
   - 1/1 लाला खातुन पत्नी सांवण खा
   - 1/2 आलमा खातुन पत्नी सांवण खा
   - 1/3 रोशन पुत्र सांवण खा
   - 1/4 अशकर खा पुत्र सांवण खा
   - 1/5 रोशन खातुन पुत्री सांवण खा
   - 1/6 गफूर खा पुत्र सांवण खा
2. नत्थू खां पुत्र श्यामु खां
3. पठान खां पुत्र श्यामु खा (फोत) कायम मुकाम
   - 3/1 मन्नत खातुन पत्नी पठान खा
   - 3/2 अरशाद खां पुत्र पठान खां
   - 3/3 अत्र खा पुत्र पठान खां
   - 3/4 जेनब पुत्री पठान खां
   - 3/5 फजला पुत्री पठान खां
4. भाखा खातुन पुत्री श्यामु खा
5. बसा खातुन पुत्री श्यामु खा
6. मुरादा खातुन पुत्री श्यामु खा

निवासी ग्राम धोधा तहसील पूगल

अप्रार्थीगण

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2– अप्रार्थी की ओर से – श्री जयचन्दलाल सारस्वत अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 29.01.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार खाजुवाला ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 1 एस.डब्ल्यू एम 'बी' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 329 के मुरब्बा नम्बर 200/36 किला नम्बर 1, 10, 11, 15, 16 की कुल 05 बीघा भूमि जिसकी सूची नम्बर 4 के अनुसार चक व मुरब्बा नम्बर 200/36 बने जो गैर मुमकीन जोहड़ मजकुर दर्ज था। सहायक उपनिवेशन आयुक्त इगानप योजना छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 18.05.1989 के द्वारा श्यामु यारू खां पुत्र रहीम खा मुसलमान सा. संजरवाला को स्मालपेच में आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से श्री जयचन्दलाल सारस्वत अधिवक्ता ने उपस्थित आकर जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

3. तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 1 एस.डब्ल्यू एम 'बी' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 329 के मुरब्बा नम्बर 200/36 किला नम्बर 1, 10, 11, 15, 16 की कुल 05 बीघा भूमि जिसकी सूची नम्बर 4 के अनुसार चक व मुरब्बा नम्बर 200/36 बने। जो गैर मुमकीन जोहड़ मजकुर दर्ज थी। सहायक उपनिवेशन छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 18.05. 1989 के द्वारा अप्रार्थी के पति/पिता श्यामु यारू खां पुत्र रहीम खां जाति मुसलमान सा. संजनवाला को स्मालपेच में आवंटित कर दी गई। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन जौहड़ पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ मु.बीकानेर द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थना पत्र के पैरा जिसमें चक 1 एसडब्ल्यूएम 'बी' गांव बैरियावाली का खसरा नम्बर 329 जो सुची नं. 4 के अनुसार मुरब्बा नं. 200/36 जो गैर मुमकीन जोहड़ मजकूर दर्ज होना, जिसे बिना सक्षम स्वीकृति के मुमकीन दर्ज कर खातेदारी भूमि में अंकन करवाने का तथ्य बिल्कूल बनावटी, निराधार एवं बेबूनियाद दर्ज किया गया है। जिस अप्रार्थीगण पूर्णतया अस्वीकार करते है। पैरा सं. 1 में दर्ज तथ्य कि गांव बैरियावाली के खसरा नम्बर 329 तादादी 249 बीघा 2 बिस्वा जोहड़ मजकूर के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसके सूची नं. 4 अनुसार चक व मुरब्बा नं. 200/36 व अन्य मुरब्बा नम्बर बन गये। सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ के निर्णय दिनांक 18.5.89 के द्वारा श्यामू, यारूखां पिसरान रहीम खां जाति मुसलमान सा. संजरवाला को स्माल पेच में आवंटन कर दी गई जो नियम विरूद्ध है क्योंकि उपनिवेशन कानून में नियमानुसार ही पुख्ता आवंटन, स्मालपेच आवंटन इत्यादि की कार्यवाही की गई है फिर भी यदि स्टेट को लगता है कि कोई आवंटन गलत हो गया है तो उसके लिये धारा 23(1) उपनिवेशन अधिनियम में अपील के प्रावधान मौजूद है, के अलावा अप्रार्थीगण को जो स्मालपेच आवंटन किया गया है वह दिनांक 18.5.89 का है, जिसके खिलाफ 23 वर्षो

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

बाद की गई उक्त रेफरेंस कार्यवाही स्वतः शून्य है, को ड्रॉप की जानी न्यायोचित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में भी इस तरह के प्रकरणों में भूमि की किस्म परिवर्तन को अवैध माना है, उक्त नजीर प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा नहीं होती है क्योंकि अप्रार्थीगण को जो स्मालपेचआवंटन किया गया है वह शुद्ध रूप से आराजीराज कृषि योग्य छोटी भू–पट्टी का रकबा ही 18.05.89 को आवंटन किया गया है उक्त रकबा कभी भी गैर मुमकीन जोहड़ मजकूर नहीं रहा है मौके पर आवंटन के दिन से लेकर आज दिन तक अप्रार्थीगण आबाद होकर काश्त कर रहे है, जिसके बाबत 23 वर्षो बाद बनावटी तौर पर तथ्य कि 249.02 बीघा जोहड़ रही है जबकि अप्रार्थीगण को तो मात्र 5 बीघा ही आवंटन है को आज 30 वर्ष बाद अगर उक्त रेफरेंस प्रकरण के ताबे बेदखल कर दिया गया तो अप्रार्थीगण के साथ बेजा अन्याय होगा जो प्राकृतिक न्याय एवं प्रक्रिया के भी विपरीत होगा इसलिए प्रकरण ड्रॉप योग्य है। पैरा सं. 3 में दर्ज तथ्य प्रकरण में लागू नहीं होते है, क्योंकि वर्तमान में उपरोक्त क्षेत्र सिचिंत हो चुका है तथा उपनिवेशन कानून लागू होते ही रकबा चकों एवं मु. नम्बरान में कायम कर दिये जाने से जोहड़ भूमि का अलग से रिकार्ड बनाया हुआ है। जैर प्रार्थना पत्र में दर्ज रकबा शुद्ध आराजीराज/सिवायचक अंकन योग्य होने से स्मालपेच में आवंटन योग्य होने से ही पीठासीन सक्षम सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ द्वारा दिनांक 18.5.89 को विधिवत तौर पर अप्रार्थीगण को स्मालपेच आवंटन किया गया है, को बहाल रखा जाकर प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र ड्रॉप फरमाया जावे। अधिवक्ता ने आगे यह भी कथन किया कि जिस आदेश के खिलाफ उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश हुआ है वह आदेश विधि सम्मत है, के अलावा विधि में अपील के प्रावधान मौजूद रहते हुए 23 साल बाद कार्यवाही की जानी मियाद से वर्जित है। जैर रेफरेंस रकबा की खातेदारी भी अप्रार्थीगण के नाम हो चुकी है। आवंटन को 30 साल से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है जिस अप्रार्थीगण ने अपने खून पसीने से अधिक उपजाऊ बनाया है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही न्यायहित में ड्रॉप फरमाई जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मिसल बंदोबस्त में खसरा नम्बर 329 की कुल रकबा 249/2 बीघा भूमि रावदेवीसिंह जी मौसूफ जोहड़ मजकूर रिफोयआम के नाम दर्ज है जो कि उपनिवेशन विभाग की सूची नं. 4 के अनुसार खसरा नम्बर 200/36 से अन्य रकबों के अलावा 1 एस. डब्ल्यू एम 'बी' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवाला के खसरा नम्बर 329 के मुरब्बा नम्बर 200/36 किला नम्बर 1, 10, 11, 15, 16 में पैमूद हुई। जो कि आवंटन आदेश दिनांक 18.05.1989 के अनुसार अप्रार्थी को आंबटित हुई। जो

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

वर्तमान जमाबन्दी संवत 2065–68 में दर्ज रिकार्ड है। प्रश्नगत भूमि जोहड़ मजकूर रिफायेआम दर्ज रिकार्ड है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में जोहड़ मजकूर रिफायेआम की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थी के पक्ष चक 1 एस.डब्ल्यू एम 'बी' पुराना गांव बेरियावालीं तहसील खाजुवालां के खसरा नम्बर 329 के मुरब्बा नम्बर 200/36 किला नम्बर 1, 10, 11, 15, 16 बीघा भूमि जिसकी सूची नम्बर 4 के अनुसार चक व मुरब्बा नम्बर 200/36 जो जोहड़ मजकूर रिफोयआम दर्ज था। सहायक उपनिवेशन आयुक्त इ.गा.न.प.योजना छत्तरगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05. 1989 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में आराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8. उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.03.2020 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9. आदेश आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
अति. जिला कलक्टर
बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर